

(राजस्थान सरकार)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू
वासीन अधिकारी:-
सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 36/2024

जीसीएमएस नम्बर :- 2024/70

1. कैलाश सिंह दत्तक पुत्र हनुमान जाति राजपूत निवासी भवानीपुरा हाल ढाणी लक्ष्मण
तन बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

बनाम

.....वादी

1. अन्जु पुत्री मदन सिंह
2. उम्मेद कंवर पुत्री मोती सिंह
3. कमला पुत्री नानड़ सिंह
4. निरंजन सिंह पुत्र मोती सिंह
5. पंकज सिंह पुत्र मदन सिंह
6. प्रेम पुत्री नानड़ सिंह
7. मुकेश देवी पत्नी स्व मदन सिंह
8. मन्जु पुत्री प्रभु सिंह
9. महेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह
10. राजकुमार सिंह पुत्र मदन सिंह
11. रिछपाल सिंह पुत्र नानड़ सिंह
12. रोहिताश्व पुत्र नानड़ सिंह
13. सज्जन सिंह पुत्र मोती सिंह
14. सुनिता पत्नी स्व लक्खी सिंह
15. सन्तोष पुत्री नानड़ सिंह
16. सुनिता कंवर पत्नी मदन सिंह
17. सुबेसिंह पुत्र मोती सिंह
18. सुमन कंवर पुत्री मदन सिंह
19. सुमेर सिंह पुत्र प्रभू सिंह
20. सुरज कंवर पत्नी स्व0 नानड़ सिंह
21. सोहन पुत्र लक्खी सिंह
22. हेम सिंह पुत्र लक्खी सिंह

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)



23. हिम्मत सिंह पुत्र लक्खी सिंह समस्त जातियान राजपूत निवासीगण भवानीपुरा हाल ढाणी लक्ष्मण तन बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
24. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
25. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बड़बर जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत:- खाता विभाजन

-:निर्णय:-

दिनांक:-

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम भवानीपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075- 2078 के हाल खाता संख्या 06 के ख0 न0 129 रकबा 0.87 है0 व ग्राम बडबर के हाल खाता संख्या 75 के ख0 न0 23 रकबा 1.05 है0, ख0 न0 26 रकबा 0.60 है0, ख0 न0 27 रकबा 3.58 है0, ख0 न0 38 रकबा 1.75 है0, ख0 न0 39 रकबा 3.39 है0, कुल कित्ता 5 कुल रकबा 10.37 है0, में वादी का हिस्सा 1/4 भाग व प्रति0 संख्या 1 का 1/168 भाग, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/20 भाग, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/28 भाग, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/20 भाग, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/168 भाग, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/28 भाग, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/168 भाग, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/12 भाग, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/20 भाग, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/168 भाग, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/28 भाग, प्रतिवादी संख्या 12 का 1/28 भाग, प्रतिवादी संख्या 13 का 1/20 भाग, प्रतिवादी संख्या 14 का 1/48 भाग, प्रतिवादी संख्या 15 का 1/28 भाग, प्रतिवादी संख्या 16 का 1/168 भाग, प्रतिवादी संख्या 17 का 1/20 भाग, प्रतिवादी संख्या 18 का 1/168 भाग, प्रतिवादी संख्या 19 का 1/12 भाग, प्रतिवादी संख्या 20 का 1/28 भाग, प्रतिवादी संख्या 21 का 1/48 भाग, प्रतिवादी संख्या 22 का 1/48 भाग, प्रतिवादी संख्या 23 का 1/48 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 23 अपने अपने हिस्से अनुसार मोके पर शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज कास्त है।



अधिकारी बुहाना

2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा बाहमी बंटवारा कर रखा है उरी बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिससे पर काबिज कारत है।
3. यह कि वादी व प्रतिवादीगण की वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की होने के कारण वादी को बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तथा वादी अपने भूमि का सुधार कार्य भी नहीं कर पा रहा है तथा रहन, दान, गिरवी आदि करने एवं सीमाये कायम करने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है। जिस कारण से वादी को यह दावा खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

कि वाके ग्राम भवानीपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075- 2078 के हाल खाता संख्या 06 के ख0 न0 129 रकबा 0.87 है0 व ग्राम बडबर के हाल खाता संख्या 75 के ख0 न0 23 रकबा 1.05 है0, ख0 न0 26 रकबा 0.60 है0, ख0 न0 27 रकबा 3.58 है0, ख0 न0 38 रकबा 1.75 है0, ख0 न0 39 रकबा 3.39 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 10.37 है0, में वादी का हिस्सा 1/4 हिस्सा का कब्जे कास्त अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग से लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

1. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 14, 19 व 21 लगायत 23 की और से श्री संदीप यादव एडवोकेट द्वारा वकालतानामा जवाबदावा मय प्रतिदावा दिनांक 24.02.2025 को पेश किया गया। तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 01.07.2024 को लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.02.2025 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 183 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1549 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया।

प्रतिदावा निम्न प्रकार रहा कि :-



1. यह कि वाके ग्राम भवानीपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि खाता संख्या 6 के ख0 न0 129 रकबा 0.87 है0 में प्रतिवादी संख्या 14/प्रतिदावाकर्ता संख्या 1 का हिस्सा 1/48 भाग व प्रतिदावाकर्ता संख्या 2 का हिस्सा 1/12 भाग व प्रतिदावाकर्ता संख्या 21 का हिस्सा 1/48 भाग प्रतिदावाकर्ता संख्या 22 का हिस्सा 1/48 भाग प्रतिदावाकर्ता संख्या 23 का हिस्सा 1/48 भाग दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वाके ग्राम बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि खाता संख्या 75 के ख0 न0 23 रकबा 1.05 है0, ख0 न0 26 रकबा 0.60 है0, ख0 न0 27 रकबा 3.58 है0, ख0 न0 38 रकबा 1.75 है0, ख0 न0 39 रकबा 3.39 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 10.37 है0, में प्रतिवादी संख्या 14/प्रतिदावाकर्ता संख्या 1 का हिस्सा 1/48 भाग व प्रतिदावाकर्ता संख्या 2 का हिस्सा 1/12 भाग व प्रतिदावाकर्ता संख्या 21 का हिस्सा, 1/48 भाग प्रतिदावाकर्ता संख्या 22 का हिस्सा 1/48 भाग प्रतिदावाकर्ता संख्या 23 का हिस्सा 1/48 भाग दर्ज रिकार्ड है।
3. वाके ग्राम भवानीपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075- 2078 के हाल खाता संख्या 06 के ख0 न0 129 रकबा 0.87 है0 में प्रतिदावाकर्ता संख्या 2 का हिस्सा 1/12 अलग व प्रतिदावाकर्ता संख्या 1 व प्रतिदावाकर्ता संख्या 3 लगायत 5 का हिस्सा 1/12 भाग सयुंक्त रखते हुए तथा कब्जे कास्त अनुसार तथा रास्ता कायम करते हुए खाता विभाजन किया जावे।
4. कि वाके ग्राम बडबर के हाल खाता संख्या 75 के ख0 न0 23 रकबा 1.05 है0, ख0 न0 26 रकबा 0.60 है0, ख0 न0 27 रकबा 3.58 है0, ख0 न0 38 रकबा 1.75 है0, ख0 न0 39 रकबा 3.39 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 10.37 है0, में प्रतिदावाकर्ता संख्या 2 का हिस्सा 1/12 भाग अलग व सयुंक्त रखते हुए तथा कब्जे कास्त अनुसार तथा रास्ता कायम करते हुए खाता विभाजन किया जावे।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुरे प्राप्त पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 वाके ग्राम भवानीपुरा स्थित खाता संख्या 06 एवं वाके ग्राम बडबर के खाता संख्या 75 भूमि में वादी व प्रतिवादी 14, 19 व 21 लगायत 23 का दर्ज हिस्से व मौका कब्जे कास्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अधिकारी बुहाना
राज0 (राज0)



-:आदेश:-

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके वाके ग्राम भवानीपुरा तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075- 2078 के हाल खाता संख्या 08 के ख0 न0 129 रकबा 0.87 है0 व ग्राम बडबर के हाल खाता संख्या 75 के ख0 न0 23 रकबा 1.05 है0, ख0 न0 26 रकबा 0.60 है0, ख0 न0 27 रकबा 3.58 है0, ख0 न0 38 रकबा 1.75 है0, ख0 न0 39 रकबा 3.39 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 10.37 है0, में वादी व प्रतिवादी संख्या 14, 19 व 21 लगायत 23 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "


उपखण्ड अधिकारी बुहाना

(समान देवी II)
जिला झुझुनू (राज.) एवं

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 21/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी बुहाना

(समान देवी II)
जिला झुझुनू (राज.) एवं

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना